राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.12(1)नविवि/07/पार्ट जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2007

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर।

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा सुओमोटो डी.बी. सिविल रिट पिटिशन्स नं. 4783/2003, 513/2004, 21/2004 एवं 7307/2003 में दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को पारित किये गये आदेश की अनुपालना हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 4783/2003 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य, 513/2004 सुओमोटो बनाम महानिदेशक पुलिस एवं अन्य, 21/2004 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 7307/2003 महेन्द्र पाल सिंह बनाम जयपुर नगर निगम, जो कि जयपुर शहर के नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए जन सुविधाऐं प्रदान करने से सम्बन्धित थी, में दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को पारित किये गये आदेश में अन्य निर्देशों के साथ–साथ बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु 9 में निम्न निर्देश भी पालना हेतु दिये गये थे :–

In case an unauthorized construction or encroachment takes place and illegal housing colony or commercial enterprise is set up, in an area falling under the jurisdiction of the Jaipur Development Authority, the Jaipur Municipal Corporation or the Rajasthan Housing Board the concerned Enforcement Officer / Inspector / Deputy Commissioner / Zonal Officer shall be responsible. In the ACR of the defaulting Officer specific entry shall be made to the effect that during his posting in the area unauthorized construction or encroachment took place or an illegal colony was set up or an illegal commercial enterprise was established in a residential area or an area which was not meant for commercial activity. This entry shall be treated as an adverse entry and shall be kept in view at the time of considering the case of the officer for promotion or

selection. That apart, the Appointing Authority shall initiate departmental action against him. Members of the Monitoring Committee and the Appointing Authority of the officer shall be duty-bound to move an application for inititiation of proceedings for contempt of court against the defaulting officer

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण द्वारा गंभीर प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। यह स्थिति अत्यन्त ही गंभीर एवं सोचनीय है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु 9 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

जयपुर नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल में प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक/उपायुक्त/जोनल अधिकारियों के पद पर पदस्थापित अधिकारियों के कार्यकाल में हुए अवैद्य निर्माण एवं अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा उनके कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित करने की तत्काल कार्यवाही करायी जाकर 15 दिवस में की गयी कार्यवाही एवं प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव